उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

केसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010 दूरभाष 2720425 फैक्स 2720423 ई–मेल secretary@uperc.org

सन्दर्भः यूपीईआरसीः/सचिव/ 2007–1077
दिनांकः 30 अगस्त 2007

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., मेरठ, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., लखनऊ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., आगरा, एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड., कानपुर के **सहायक अभियंता/एस0डी0ओ0 या उससे ऊपर के अधिकारियों** को अधिकृत किया जाता है।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकरियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 धंटे के अन्दर सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज कराये। सबन्धित वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलबध करायेगा जिसमें विद्युत विच्छेदन के 24 धंटों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुई हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से लिये गये निर्णय से भी आयोग को अवगत करायेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

केसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010 दूरभाष 2720425 फैक्स 2720423 ई–मेल **secretary@uperc.org**

यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को जमा कर देता है, तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 धंटों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(संगीता वर्मा)
सचिव

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड., लखनऊ।,
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गैलाना रोड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड., कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।